

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1179/XXV-12 /2008 (P-3)

देहरादून : दिनांक 21 सितम्बर, 2016

सेवा में,

श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार),
पत्ता-6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

1. बिन्दु संख्या-01 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
2. बिन्दु संख्या-02, 03 एवं 05 में चाही गयी सूचना उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित है तदनुसार प्रकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
3. बिन्दु संख्या-04 में चाही गयी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, नैनीताल से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04-सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

~~संलग्न यथावेरि।~~

भवदीय,

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी / श्रीमान प्रमुख सचिव (निर्वाचन)
कार्पोरेशन प्रमुख सचिव (निर्वाचन)

उत्तराखण्ड शासन - देहरादून

विषय- आवेदन अर्न्तगत सू.अ.अ. २०२५

महोदय, प्रार्थी आपके समक्ष 10 रूपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है ! जिसका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है !

1-: अरविन्द चौधन एवं भास्कर चन्द के प्रार्थना पत्र 3-10-2016 जो मुख्य निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से प्रेषित है, जो श्रीधर कुमार वरिष्ठ पी.सी. एस. अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्पवाही की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाये !

2-: अपनी सेवा के लगभग 22 वर्ष मे से करीब 16 वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदों जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी महाप्रबन्धक कु.म.वि.नि., अपर आयुक्त नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट इलहानी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास इलहानी (नैनीताल) तथा वर्तमान में सचिव झील विकास-प्राधिकरण नैनीताल पद में तैनात वरिष्ठ पी.सी. एस. अधिकारी श्रीधर कुमार को जनपद नैनीताल से स्थानान्तरित किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव (कार्यिक) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्पवाही / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाये ! अगर कोई कार्पवाही / निर्णय / आदेश पारित नहीं किया जा रहा है तो उत्क्राभी खुलाशा करते हुए पूर्ण / स्पष्ट अभिलेखित सूचना कारणों सहित प्रदान की जाये !

3-: श्रीष कुमार सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेवा के करीब 22 वर्षों में से 16 वर्ष तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासन के जिस स्थानांतरण निपम के तहत वार-2 मात्र जनपद नैनीताल के ही ~~विभिन्न~~ विभिन्न अनुभागों / कार्यालयों के ही प्रशासनिक पदों में ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्थानांतरण निपमों / शासनादेशों की प्रमाणात् प्रति प्रार्थना को उपलब्ध करायी जाये।

4-: जनपद नैनीताल में तैनात उन सभी प्रशासनिक - अधिकारीयों / निवचिन से जुड़े अधिकारीयों के नाम पते / पदनामों की सूचना दी जाये जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावों में भी नैनीताल जनपद में तैनात रहे हैं तथा वर्तमान में भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्यालयों में तैनात हैं। जिनका स्थानांतरण उत्तराखण्ड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात् भी नहीं किया जा रहा है। इन अधिकारीयों को स्थानांतरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निवचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखित सूचना प्रार्थना को प्रदान की जाये।

5-: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्थानांतरित श्री ललित मोहन रघाल का स्थानांतरण जनपद नैनीताल में ही निदेशक डेपरी विकास (हल्द्वानी) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात् भी स्थानांतरित नहीं करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निवचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो सूचना दी जाये। अगर नहीं की जा रही है तो उन कारणों का खुलासा करते हुये पूर्ण व स्पष्ट अभिलेखित सूचना दी जाये।

संलग्नक (1)
आवेदन शुल्क
10 रूपया
आपको छे 50
प्रस्तुत है।

दिनांक → 13-10-2016

बी. सी. बृजवासी
(पत्रकार)
पता- 6/130 तल्ली बमोरी, नैनीताल
रोड हल्द्वानी (नैनीताल)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1178 /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड रासन, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आपसे यह कहना है कि आवेदक द्वारा सूचना अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ०संख्या 1178 /XXV-12(1-5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी / श्रीमान प्रमुख सचिव (निर्वाचन)
कार्पोरेट प्रमुख सचिव (निर्वाचन)

उत्तराखण्ड शासन - देहरादून

विषय- आवेदन अर्न्तगत सू०अ०अ० २००५

महोदय, प्रार्थी आपके समक्ष 10 रूपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है ! जिसका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है !

1-: अरविन्द चौधन एवं भास्कर चन्द्र के प्रार्थना पत्र 3-10-2016 जो मुख्य निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से प्रेषित है, जो श्रीधर कुमार वरिष्ठ पी० सी० एस० अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाएं !

2-: अपनी सेवा के लगभग २२ वर्ष मे से करीब 16 वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदों जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी महाप्रबन्धक कु० म० वि० नि०, अपर आयुक्त नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट इल्हानी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास इल्हानी (नैनीताल) तथा वर्तमान मे सचिव झील विकास-प्राधिकरण नैनीताल पद मे तैनात वरिष्ठ पी० सी० एस० अधिकारी श्रीधर कुमार को जनपद नैनीताल से स्थानांतरित किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव (कार्यिक) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित किये जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाएं ! अगर कोई कार्यवाही / निर्णय / आदेश पारित नहीं किया जा रहा है तो उक्त भी सुलाशा करते हुये पूर्ण / स्पष्ट अभिलेखित सूचना कारखाने सहित प्रदान की जाएं !

3-: श्रीविक्रम सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेवा के करीब 22 वर्षों में से 16 वर्ष तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासन के जिस स्थागोतण नियम के तहत वार-2 मात्र जनपद नैनीताल के ही ~~विभिन्न~~ विभिन्न अनुभागों / कार्यालयों के ही प्रशासनिक पदों में ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्थागोतण नियमों / शासनादेशों की प्रमाणाति प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करापी जाये।

4-: जनपद नैनीताल में तैनात उन सभी प्रशासनिक - अधिकारीयों / निवचिन से जुड़े अधिकारीयों के नाम पते / पदनामों की सूचना दी जाये जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावों में भी नैनीताल जनपद में तैनात रहे हैं तथा वर्तमान में भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्यालयों में तैनात हैं। जिनका स्थागोतण उत्तराखण्ड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नहीं किया जा रहा है। इन अधिकारीयों को स्थागोतरहित करने के लिये प्रमुख सचिव (निवचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखित सूचना प्रार्थी को प्रदान की जाये।

संलग्नक (1)
आवेदन शुल्क
10 रूपया
आपका छि आउ
प्रस्तुत है।

5-: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्थागोतरहित श्री ललित मोहन रघाल का स्थागोतण जनपद नैनीताल में ही निदेशक डेपरी विकास (इलहानी) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्थागोतरहित नहीं करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निवचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो सूचना दी जाये। अगर नहीं की जा रही है तो उन कारणों का खुलाशा करते हुये पूर्ण व स्पष्ट अभिलेखित सूचना दी जाये।

प्रार्थी

दिनांक → 13-10-2016

बी. सी. बृजवासी
(पत्रकार)
पता - 6/130 तल्ली बमोरी, नैनीताल

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1177/XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा बिन्दु संख्या- 04 के माध्यम से वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,


(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ०संख्या 1177/XXV-12(1-5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।


(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सब/म,

लोक सूचना अधिकारी / श्रीमान् प्रमुख सचिव (निर्वाचन)
कार्पोरल प्रमुख सचिव (निर्वाचन)

उत्तराखण्ड शासन - देहरादून

विषय- आवेदन अर्न्तगत सू०अ०अ० २०८५

महोदय, प्राचीं आपके समक्ष 10 रूपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है! जिसका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है!

1-: अरविन्द चौधन एवं भास्कर चन्द के प्राचीं पत्र 3-10-2016 जो मुख्य निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से प्रेषित है, जो श्रीधर कुमार वरिष्ठ पी० सी० एस० अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है उक्त प्राचीं पत्र पर कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाएं!

2-: अपनी सेवा के लगभग २२ वर्ष मे से करीब 16 वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदों जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी महाप्रबन्धक कु० म० वि० नि०, अपर आयुक्त नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट इलहानी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास इलहानी (नैनीताल) तथा वर्तमान मे सचिव झील विकास-प्राधिकरण नैनीताल पद मे तैनात वरिष्ठ पी० सी० एस० अधिकारी श्रीधर कुमार को जनपद नैनीताल से स्थानांतरित किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचन) उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव (कार्यिक) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्यवाही/निर्णय/आदेश पारित किया जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाएं! अगर कोई कार्यवाही/निर्णय/आदेश पारित नहीं किया जा रहा है तो उत्क्राभी खुलाशा करते हुये पूर्व/स्पष्ट अभिलेखित सूचना कारणों सहित प्रदान की जाएं!

3-: श्री प्रकृमर सांचेव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेवा के करीब 22 वर्षों में से 16 वर्ष तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासन के जिस स्थागोतरण निपम के तहत वार-2 मात्र जनपद नैनीताल के ही ~~विभिन्न~~ विभिन्न अनुभागों / कार्यालयों के ही प्रशासनिक पदों में ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्थागोतरण निपमों / शासनादेशों की उपाधि प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये।

4-: जनपद नैनीताल में तैनात उन सभी प्रशासनिक - अधिकारीयों / निवचिन से जुड़े अधिकारीयों के नाम पते / पदनामों की सूचना दी जाये जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावों में भी नैनीताल जनपद में तैनात रहे थे तथा वर्तमान में भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्यालयों में तैनात हैं। जिनका स्थागोतरण उत्तराखण्ड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात् भी नहीं किया जा रहा है। इन अधिकारीयों को स्थागोतरण करने के लिये प्रमुख सचिव (निवचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखित सूचना प्रार्थी को प्रदान की जाये।

5-: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्थागोतरण श्री ललित मोहन रघाल का स्थागोतरण जनपद नैनीताल में ही निदेशक डेपरी विकास (हल्द्वानी) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात् भी स्थागोतरण नहीं करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निवचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो सूचना दी जाये। अगर नहीं की जा रही है तो उन कारणों का खुलाशा करते हुये पूर्ण व स्पष्ट अभिलेखित सूचना दी जाये।

संलग्नक (1)

आवेदन शुल्क

10 रूपया

आपको छे 50

प्रस्तुत है

दिनांक → 13-10-2016

बी. सी. बृजवासी
(पतकार)
पता - 6/130 तल्ली बमोरी, नैनीताल
जिला हल्द्वानी (नैनीताल)

मार्क टिकन प्रथम कोका इत शेषिया कसु प्रकरोके १९५१-५२ पञ्जाब ७५ दहा रुपये ७५-७५५५ एम इपडे दहा रूप्यकाणि

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO श्री श्री श्री कापलिय
प्रमुख तन्त्रि (विविध) को
दहा रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

कमीशन COMMISSION रुपया 1RUPEE


प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

श्री श्री कापलिय
एलएन

AT THE POST OFFICE AT
एलएन
के डाकघर में अदा करें।

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

33F 853862



पत्र का आकार
१६५ मिमी
७५ मिमी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1176/XXV-12 /2008 (P-4)

देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

श्री मुकेश,
जीरो प्वाइंट निकट बस स्टेशन,
लोवर नकरोंदा, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित सूचना के क्रम में मु०नि०अ० कार्यालय के पत्र संख्या-924 दिनांक 12 सितम्बर, 2016 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2016 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सचिवालय नार्थ ब्लॉक
रूम नं० ५
देहरादून.

विषय : → सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रहोदय,

लोक सूचना अधिकार के अन्तर्गत अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या राज्य ^{नियम} के अधिकारी जो पिछले आठ या अधिक वर्षों से एक ही स्थान पर नियुक्त हैं और जिनकी चुनाव में इयूटी सेक्टर मजिस्ट्रेट तक लगायी जा चुकी है, वह निष्पक्ष चुनाव हेतु (आदर्श आचार संहिता) स्थानान्तरण की परिधि में आते हैं अथवा नहीं।

कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - 10 रु० का
भारतीय पोस्ट ऑर्डर
(33F881921)

प्राथमिक ^{M. Kumar}
मुकेश 31/01/15

जीरो प्लॉट
निकट - बस स्टेशन
लोवर नकरोंदा
देहरादून